चतुर्थ
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2015-2016

PAAYAS™
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

श्री अनिल कुमार	–	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री बलदेव राम बेरवाल	–	निदेशक
श्री भगवान सहाय	–	निदेशक
श्रीमती मंजू जाखड़	–	निदेशक
श्रीमती कौशल यादव	–	निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	–	निदेशक
श्री डूंगर सिंह राठौड़	–	निदेशक
श्री भंवरलाल जाट	–	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	–	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	–	निदेशक
श्री मेवाराम बैरवा	–	निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

वरिष्ठ प्रबन्धक–वित्त

श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुड़गाँव, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुड़गाँव, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,जयपुर
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक,जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक,जयपुर
येस बैंक, जयपुर

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91–141–2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों का प्रतिवेदन	1–8
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	9–10
3.	स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	11–15
4.	वार्षिक लेखा विवरण:	
	(अ) 31 मार्च, 2016 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	16
	(ब) 31 मार्च, 2016 के लिये लाभ–हानि खाता	17
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	18
5.	लेखांकन नीतियों का विवरण	19–22
6.	अनुसूची संख्या (3–37)	23–38

संलग्न : पांचवी आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बंधित अनुलग्नक

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की पांचवी आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अन्यंत हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी ने कुल रू. 845.30 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर अदा करने के पश्चात् रू. 12.89 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने का प्रस्ताव पारित किया है।

कम्पनी ''**पायस**'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध और घी का विक्रय कर रही है और वित्तीय वर्ष 2015–16 में कम्पनी ने छाछ का विक्रय प्रारम्भ किया। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड के नाम से मिनरल मिक्सचर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये है। कम्पनी द्वारा चारा विकास संबंधी गतिविधियों के अन्तर्गत जिसमें चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति कर रही है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह./–

(रतन कुमार सिंह)

मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2016 की समाप्त अवधि के कम्पनी के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:–

(रू. करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।
कुल आय	**845.30**	599.47
व्यय सहित कुल लागत	**825.40**	585.51
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	**19.90**	13.96
कर हेतु प्रावधान	**7.01**	4.96
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	**12.89**	9.00

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 845 करोड़ 30 लाख की कुल आय प्राप्त की जो एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की कुल आय रू. 845.30 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रू. 599.47 करोड़ की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रू. 585.51 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ कुल व्यय रू. 825.40 करोड़ रहे है।

कर के पश्चात लाभ रू. 12.89 करोड़ रहा, जिसमें पिछले वर्ष के कर के पश्चात लाभ रू. 9.00 करोड़ की तुलना में, 43 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रू. 10/– प्रति समता अंश की दर से कुल रू. 2.74/– करोड़ लाभांश राशि (जिसमें रू. 46.42 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2016 को सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI की अनुपालना में निदेशक मंडल ने रू. 10.14/– करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में जमा करने का प्रस्ताव है।

संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 8 जिलों के 2,766 गाँवों तथा अपने संचालन क्षेत्र के 3,009 दुग्ध संकलन केन्द्र से दुग्ध संकलन कर

रही है तथा समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने पिछले वर्ष 14.6 करोड़ लीटर दुग्ध संकलन की तुलना में, 20.27 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। संकलित किए जा रहे दुग्ध के प्रतिफल में कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में भिन्न–भिन्न प्रकार एवं मात्रा में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, पिछले वर्ष पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 92.9 लाख लीटर व 91.2 मैट्रिक टन की तुलना में, पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 154 लाख लीटर व 422 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके पास अपने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय में विस्तारित करने के लिए आगे बहुत संभावनाऐं है और इसलिए गत वर्ष के दौरान विक्रय एवं वितरण तंत्र को सशक्त बनाने हेतु 85 वितरकों तथा 1,704 खुदरा व्यापारियों को जोड़ा गया। कम्पनी ने पहली बार राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं बांरा जिलों में विपणन का कार्य प्रारम्भ किया।

मान्यता (Recognition)

इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आई.डी.ए.) जोकि भारतीय डेयरी क्षेत्र की सबसे बडी एसोसिएशन है, ने श्रीमती मंजू जाखड़ (निदेशक) को डेयरी वूमेन ऑफ दी ईयर 2016 के लिए चुना। 44वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस जोकि 18 फरवरी, 2016 को एन.डी.आर.आई करनाल में आयोजन की गई, के दौरान इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने प्रमुख शिक्षाविदों व औद्योगिक दिग्गजों की उपस्थिति में श्रीमती जाखड़ को सम्मानित किया। पायस परिवार के लिये यह एक गौरव की बात है कि इसके एक सदस्य को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE) ने कम्पनी को ''AA-'' (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण पात्रता पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी ग्राहकों को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियां
फिट एन फाइन	डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5 । एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L, 6L
ताजा	टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 । एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L, 6L
गोल्ड	फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0 । एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में दुग्ध का विक्रय करती है।

घी

पायस घी 1 लीटर/आधा लीटर (सिक्का पैक) एवं 15 किलोग्राम के टिन में दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विपणन के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का विक्रय अक्टूबर, 2015 से शुरू किया गया और उपभोक्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया से इसका छह महिनों में 4 लाख लीटर से अधिक का विक्रय हुआ।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी ने अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई

एनर्जी की लगभग 15,000 मैट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की। गत वर्ष की तुलना में इस बिक्री में 65 प्रतिशत की वृद्धि रही।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर (Rajasthan Specific Mineral Mixture)

राजस्थान की मिट्टी में उपलब्ध नही होने वाले खास खनिजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप 110 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर वितरित हुआ है। यह गत वर्ष के विक्रय की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि है।

उत्पाद विकास (Product Development)

पायस उत्पादों से मिली उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से कम्पनी दही, मीठी लस्सी और मसालेदार छाछ जैसे नए उत्पादों को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

आईसीटी परियोजना/ईआरपी कार्यान्वित करना(ICT Projects / ERP Implementation)

कम्पनी ऐतिहासिक समय में ईआरपी (एसएपी) आधारित बनी है। इसके लाभों में संपूर्ण स्वचालन, केंन्द्रीकृत सूचना पद्धति, समंकों एवं सूचनाओं की तत्काल उपलब्ध्ता, पद्धति एवं व्यावसायिक सहयोग की मापनीयता के स्तर में सुधार, कार्यकुशलता, परिशुद्धता तथा मोबाईल तकनीक का प्रयोग सम्मिलित है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी का कार्य बिन्दू सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। पायस ने राजस्थान के पांच जिलों जयपुर, सीकर, टोंक, पाली तथा अजमेर में ''सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम'' का आयोजन किया, जिसमें 12,232 उत्पादकों/सदस्यों ने भाग लिया। 12,229 उत्पादकों/सदस्यों को ''गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम'' के तहत प्रशिक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 4,092 महिला दुग्ध उत्पादकों के लिये ''महिला जागरूकता कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य उन्हे सक्रिय तौर पर भागीदारी निभाकर डेयरी गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना था।

एक विशाल संचालन क्षेत्र एकल स्तरीय व सदस्यता आधारित कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है की कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए ताकि सदस्यों के मुद्दों का निवारण किया जा सके तथा दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुए कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर 1,141 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) और दुग्ध अनुमार्ग स्तर पर 162 अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये। इसके अतिरिक्त 1,175 ग्रामीण युवाओं को 'ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत उन्हे डेयरी के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित कर इसे भावी आजीविका स्रोत के रूप में स्वीकार करने के लिए संवेदनशील बनाया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बच्चों के जागरूकता कार्यक्रम के तहत 1517 विद्यालय जाने वाले बच्चों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की पोषण सम्बन्धी अवधारणा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अपने आप को स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कम्पनी द्वारा एमआरजी सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें 73 लोगों को नेतृत्व कर्तव्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षित किया गया।

नीति संचालन पर निदेशक मंडल के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए व्यवसाय एवं संचालन योजना तथा वित्तीय संदर्भ में कौशल निर्माण विषय पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। नीति दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उन्हे

स्वीकार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया।

बोर्ड के अभिमुखीकरण की दिशा में बोर्ड के सदस्यों ने 'श्रीजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड', तिरूपति का दौरा किया तथा एनडीआरआई करनाल में आयोजित 44वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया।

उप–परियोजना योजना (Sub Project Plan)

कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड में स्थित, परियोजना प्रबंधन ईकाई को नेशनल डेयरी योजना – फेज प्रथम के तहत चार उप–परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस)(Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)
3. व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप, (Pilot Model For viable Artificial Insemination Delivery (AI)
4. चारा विकास (Fodder Development)

परियोजना प्रबंधन ईकाई ने नेशनल डेयरी प्लान–फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप–परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं कों कम्पनी के राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोंक में क्रियान्वित किया जा रहा है।

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली का उद्देश्य दुग्ध संकलन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न हितधारकों की समताओं को बढाते हुए कम्पनी को मजबूत करना है। इसका ध्येय एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी दूग्ध संकलन एकत्रिकरण तंत्र स्थापित करना और सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली द्वारा लघु कृषकों की पहुँच पूरे साल संगठित डेयरी बाज़ार तक बनाये रखकर उनके हितो की रक्षा सुनिश्चित करता है।

कम्पनी की योजना इस परियोजना के अर्न्तगत पाँच जिलों के 2716 गाँवों तक पहुँचाना है। परियोजना के अंत में, परियोजना के तहत अनुमानित 1,00,105 सदस्यों को सम्मिलित करने तथा 7.42 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलन करने की योजना है।

वीबीएमपीएस के अंतर्गत दो नये दूध अवशीतन केन्द्र बस्सी (जिला–जयपुर) एवं ब्यावर (जिला–अजमेर) में चालू किए गये है। विभिन्न डोमेन के अंतर्गत सौ प्रतिशत सहायक, एम.सी.सी. एवं फील्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। स्टाफ सदस्यों के लिए नेतृत्व एंव प्रेरणा के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

कम्पनी ने उप–परियोजना योजना (एस.पी.पी.) से संबंधित 2403 गाँवों में स्थित 74,553 सदस्यों से 491 TKPD दूध का संकलन किया।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी एक चरणबद्ध तरीके से 2,700 गाँवों तक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए तंत्र का सतत विकास कर रही है। आर.बी.पी. ने पांरपरिक भोजन प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बडे.पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कम्पनी ने 1350 (cumulative) लोकल रिर्सोस पर्सन (LRP)का परिनियोजन किया है, जिन्होंने 2700 (cumulative) गाँवों के 1,82,697 (cumulative) जानवरों के लिए राशन बैंलेसिंग किया।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अर्न्तगत आने वाली उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोग की क्षमता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने / चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

कम्पनी ने चारा विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रर्दशन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति, प्रारंभ की है।

कम्पनी ने 2 हजार से अधिक गाँवों को कवर करते हुऐ 148 ऑटो एंड मेन्युअल मुवर, 95 साइलेज बनाने एवं 3 बायोमास का प्रदर्शन किया।

छोटे और सीमान्त दूध उत्पादकों के लिए, कंपनी ने कम लागत वाले साईलेज बैग (जिनकी क्षमता 1 MT है) आरम्भ किये, जिसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही और इस संबंध में 64 प्रदर्शन किये गये।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ते दामों पर गुणवता का चारा बीज जिसमें ल्यूशर्न, सोरगर्म और मीलेट शामिल है, का वितरण कर रही है। कुल 371 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में भिन्न प्रकार के बीज जैसे की ड्रम स्टीक्स, कैक्टस, नेपियर घास और हाईब्रिड मैज इत्यादि लाने की योजना है।

व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप

(Pilot model for viable Artificial Insemination delivery (AI)

कम्पनी ने किसानों के गुणवत्ता युक्त, प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात् नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (NDDB) के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुन: गर्मी की जांच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जाँच एवं पशु के ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओ को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर वास्तविक अनुभव ग्रहण करने हेतु उचित कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। पूर्ण प्रशिक्षण पश्चात उन्हे आवश्यक उपकरण प्रदान कर दुग्ध उत्पादको के घर तक उत्कृष्ठ कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर नियुक्त किया जाता है, प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) की उस क्षेत्र में जिसमें लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आते हैं, की नियुक्ति की जाती है। एक वेटेनरी एक्जिक्यूटिव प्रत्येक क्षेत्र का प्रबन्ध करता है। एक पशु प्रजनन अधिकारी लगभग 6 से 7 वेटेनरी एक्जिक्यूटिव को तकनीकी व प्रबन्धकीय सहायता प्रदान करता है।

कम्पनी ने 450 केन्द्रों के माध्यम से 3116 गाँवों में 2 लाख से अधिक (प्रथम AI की जांच में 42 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता) AI की है।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। हमारे दुग्ध उत्पादक केन्द्र, जहाँ दुग्ध को जांचने के महत्वपूर्ण जांच उपकरणों जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, ऑवन, बी.आर. मीटर आदि सुविधाओं से युक्त है। केमिस्ट तथा एमसीसी प्रमुखों के कौशल

सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पद्धति के उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर दो डॉक, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए शीतलन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे – ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

निदेशक (Directors)

श्री सुखपाल जाट, कम्पनी के निदेशक के पद का कार्यकाल 14 सितम्बर 2015 को समाप्त होने से सेवानिवृत हुए। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कंपनी को दिये गये सहयोग हेतू धन्यवाद देता हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं धारा 581ZA एवं कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनसुार, श्रीमती ममता चौधरी, श्री सेडमल शर्मा, श्री जयसिंह राठौड़ एवं श्री मेवाराम बैरवा को 14 सितंबर, 2015 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गो में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कंपनी की प्रथम वार्षिक आम–सभा में अनुमोदित किया गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नही करने पर यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 67 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2016 को दिये गये संरक्षता के मानदण्डों को पूरा किया हैं। इसी प्रकार इन 62 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमश: 9 प्रतिशत श्रेणी–ए, 18 प्रतिशत श्रेणी–बी तथा 73 प्रतिशत श्रेणी–सी के हैं। जबकि उक्त श्रेणी ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्रमश: 46%, 25% एवं 29% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी–ए में 5, श्रेणी–बी में 3 तथा श्रेणी–सी में 3 निदेशक होती हैं। वर्तमान बोर्ड उपरोक्त वर्णित अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :–

श्रेणी–ए के निदेशक

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री भंवर लाल जाट, कम्पनी के निदेशक जोकि आगामी आम सभा में सेवानिवृत होंगे और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत नही करते हैं।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने श्रीमती गीता देवी गुर्जर जो ''श्रेणी ए'' की प्रतिनिधि हैं को श्रेणी ए के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की हैं। निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की पांचवी वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ संलग्नक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी ए के कुल पांच निदेशक हो जायेंगें।

श्रेणी–बी के निदेशक

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्रीमती मंजू जाखड़, कम्पनी की निदेशक, ''श्रेणी बी'' की प्रतिनिधि जो आगामी पांचवी वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत (Retire by Rotation) होने के लिये उत्तरदायी है और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करती हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनकी पुन: नियुक्ति की अनुशंसा की हैं। निदेशक की पुन: नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की पांचवी वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्रीमती कौशल यादव, कम्पनी की निदेशक जोकि आगामी आम सभा में सेवानिवृत होंगी और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत नही करती हैं।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने श्रीमती कमला देवी, जो ''श्रेणी बी'' की प्रतिनिधि हैं को श्रेणी बी के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की हैं। निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की पांचवी वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी बी के कुल तीन निदेशक हो जायेंगें।

श्रेणी–सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक है इसलिये आगामी पांचवी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी सी में कोई सेवानिवृति /चुनाव नहीं हैं।

सदस्यता/वोटे देने का अधिकार/अंश पूंजी

31 मार्च, 2016 को प्रदत्त अंश पूंजी रु 22.80 करोड है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 88,678 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 10,743 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2016 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 5,478 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 13,281 सदस्यों की सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 80,875 है जबकि कुल प्रदत्त अंश पूंजी रू. 23.50 करोड़ है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी अथवा श्रेणी सी (जो भी लागू हो) के संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे दर्शाये गये 88,678 सदस्यों में से इस रिपोर्ट की तिथि को 38,823 सदस्यों को वोट करने का अधिकार है तथा 49,855 सदस्यों में से 13,281 सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है और बाकी 36,574 सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में न्यूनतम 200 दिनों में कम से कम 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं करने के कारण आगामी आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2016 के बाद कंपनी में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभांश एवं पांचवी वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:–

a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।
b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते रहते है।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुन:नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) को कम्पनी नियम, 1975 के साथ पढा जाये के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक/प्रतिफल के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नही की है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढा जाये।

(i) कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

आभार (Acknowledgment)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./–

(अनिल कुमार)

अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 08 अगस्त, 2016

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन (Auditors' Report)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 को कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों, संक्षिप्त महत्वपूर्ण अकांउटिंग नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) जैसा लागू हो तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों।

इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अतंर्गत बने नियमों एवं अधिनियम की धारा 143(11) के तहत् आदेश के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं। अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रकिया अपनाना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिये गलत तथ्यात्मक कथनों से संबंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतू अंकेक्षक इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके सही एवं उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक हैं। साथ ही अंकेक्षण में लेखांकन के लिये प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा कम्पनी के निदेशकों के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरण पर अंकेक्षण राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय (Opinion)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, अधिनियम के तहत् चाही गई सूचनाऐं देते है साथ ही 31 मार्च 2016 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–
   (अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
   (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
   (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
   (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है।
   (य) 31 मार्च, 2016 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2016 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।
   (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुसूची अ को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
   (ल) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:–
      i. कम्पनी पर ऐसा कोई भी लम्बित मुकदमा नहीं है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाले।
      ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।
      iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अर्न्तगत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगें जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थे जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमने विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 24 जून, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''अ''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 3(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2016 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण

तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिंम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की संपत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकता है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च 2016 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव

दिनांक : 24 जून, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''ब''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :–

अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नही पाई गई है।

स . हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।

(ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मो, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नही की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(vii) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यो के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नही हुआ है।

ब. 31 मार्च 2016 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट, की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2016 को देय नही है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की हैं। कम्पनी ने सरकार से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण–पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

(ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नही की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

(xi) कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नही है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागु हों, संबधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबन्धित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुडे लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी व्यवहार नही किये हैं अत: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागु नही होते हैं।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I के तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नही है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव

दिनांक : 24 जून, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''स''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ''अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं'' के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

(i) विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट संख्या 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं हैं।

(ii) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

(iii) 31 मार्च, 2016 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर के लिए वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

(iv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

(v) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकांउटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./–

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव

दिनांक : 24 जून, 2016

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2016 को आर्थिक चिट्ठा

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
अ.	**शेयर एवं दायित्व**			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूंजी	3	228,047,300	154,118,900
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	180,775,620	79,276,141
			408,822,920	**233,395,041**
	2. आंवटन हेतू लंबित अंश आवेदन राशि		10,250,800	–
	3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	225,583,738	150,498,473
	4. गैर–चालू दायित्व			
	(अ) दीर्घकालीन ऋण	6	–	62,960,000
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	7	–	319,420
	(स) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	8	4,568,931	5,440,955
			4,568,931	**68,720,375**
	5. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	9	989,892,434	–
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	10		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		–	–
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		428,771,537	327,622,478
	(स) अन्य चालू दायित्व	11	127,296,890	174,931,286
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	12	42,894,991	21,599,517
			1,588,855,852	**524,153,281**
	योग		**2,238,082,241**	**976,767,170**
ब.	**संपत्तियां**			
	1. गैर चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्थायी संपत्तियाँ			
	(i) मूर्त संपत्तियाँ	13अ	303,977,060	259,164,616
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	13ब	64,448,644	18,581,887
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13स	63,707,964	43,371,059
			432,133,668	321,117,562
	(ब) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	5,633,602	1,956,806
			437,767,270	323,074,368
	2. चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्टॉक	15	82,485,442	43,931,143
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	16	1,086,822,743	250,021,950
	(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	17	611,504,641	349,381,309
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	17,228,118	4,183,267
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	19	2,274,027	6,175,133
			1,800,314,971	653,692,802
	योग		**2,238,082,241**	**976,767,170**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 24 जून, 2016

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–
मंजू जाखड़	**भगवान सहाय**	**रतन कुमार सिंह**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./–	ह./–	
अनूप गुप्ता	**कपिल पचौरी**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24 जून, 2016

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	व्यवसायिक गतिविधियों से आय	20	8,427,938,193	5,968,306,041
2.	अन्य आय	21	25,135,688	26,421,217
3.	**कुल आय (1+2)**		**8,453,073,881**	**5,994,727,258**
4.	**व्यय**			
	(अ) खपत की गई सामग्रीयों की लागत	22	182,659,671	30,268,643
	(ब) व्यवसायिक माल का क्रय	23	7,303,812,882	5,268,016,191
	(स) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	24	(44,020,535)	(5,699,417)
	(द) कर्मचारियों संबंधी व्यय	25	68,683,635	62,359,707
	(य) वित्त लागत	26	22,222,413	9,423,268
	(र) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	13	34,143,100	15,865,760
	(ल) अन्य व्यय	27	686,498,039	474,846,633
	कुल व्यय		**8,253,999,205**	**5,855,080,785**
5.	**कर पूर्व लाभ (3–4)**		199,074,676	139,646,473
6.	**कर व्यय**			
	(अ) चालू कर		71,000,000	46,305,832
	(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा) (Deferred Tax Charge/(Credit)		(872,024)	3,319,765
	शुद्ध कर व्यय		70,127,976	49,625,597
7.	**वर्ष का लाभ (5–6)**		**128,946,700**	**90,020,876**
8.	**प्रति समता अंश आय:**	31		
	(न्यूनतम मूल्य रू. 100/– प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		76.27	87.52
	(ब) डायल्यूटेड		76.25	87.52

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 24 जून, 2016

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./–
भगवान सहाय
निदेशक

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./–
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24 जून, 2016

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	कर से पूर्व लाभ	199,074,676	139,646,473
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत	21,018,532	7,908,569
	ब्याज से आय	(17,390,780)	(14,699,644)
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	34,143,100	15,865,760
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	**236,845,529**	**148,721,158**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(38,554,299)	(9,614,244)
	व्यापारिक लेनदारियाँ में कमी/(वृद्धि)	(836,800,793)	(210,597,140)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(3,636,691)	–
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(13,044,851)	933,103
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/ वृद्धि	101,149,059	258,803,319
	प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	(319,420)	319,420
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/ वृद्धि	(38,283,320)	11,942,662
	व्यवसाय से उत्पन्न/(कमी) रोकड़	**(592,644,786)**	**200,508,278**
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(59,128,632)	(46,292,970)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी) (अ)	**(651,773,418)**	**154,215,308**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	बैंक शेष में कमी /(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(16,961,289)	(36,476,855)
	अचल संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय(प्राप्त पूँजीगत अनुदान से समायोजित)	(104,469,823)	(57,052,624)
	प्राप्त ब्याज	21,291,885	13,507,151
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/ (कमी) (ब)	**(100,139,227)**	**(80,022,328)**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ	73,928,400	62,292,600
	अंश आवेदन हेतू प्राप्त राशि	10,250,800	–
	दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान	(62,960,000)	–
	कार्यशील पूंजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	989,892,434	(55,584,193)
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(7,850,613)	(10,743,218)
	वित्त लागत भुगतान	(6,186,333)	(7,908,569)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह / (कमी) (स)	**997,074,688**	**(11,943,380)**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	**245,162,043**	**62,249,600**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	159,809,030	97,559,429
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**404,971,073**	**159,809,030**
	निम्न में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	290,707,541	159,809,030
	जमा खातों में	114,263,532	–
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	404,971,073	159,809,030
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	206,533,568	189,572,279
	चिट्ठे के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 17)	**611,504,641**	**349,381,309**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 24 जून, 2016

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-
मंजू जाखड़	**भगवान सहाय**	**रतन कुमार सिंह**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./-	ह./-	
अनूप गुप्ता	**कपिल पचौरी**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24 जून, 2016

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से सीधे दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी प्रोडक्ट एवं सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार है:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम 2013'')/कम्पनी अधिनियम 1956 (''अधिनियम 1956'') के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये है। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगें जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियो के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल है। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते है (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते है तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चो, कर तथा अरोकड़.प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

g. अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से पुन: वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतू चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्यौगिक आश्वासन एवं रख–रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:–

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षो में)
बिल्डिंग	30
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतू किये गये है। तैयार माल में ऊपरी खर्चो का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता हैं।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

(d) दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नही थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न

समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर–शोषित–मूल्य ह्रास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए कि भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी संपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नही हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतो का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतू समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नही जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोटस में दर्शाया जाता है।

r. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

s. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति		31 मार्च 2015 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
3.	**अंश पूंजी**				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी	**3,000,000**	**300,000,000**	**2,000,000**	**200,000,000**
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-				
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी	**2,280,473**	**228,047,300**	**1,541,189**	**154,118,900**
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-				

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
		अंशों की संख्या	राशि(₹ में)	अंशों की संख्या	राशि(₹ में)
	वर्ष के आरंभ में अदत्त अंश	1,541,189	154,118,900	918,263	91,826,300
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	739,284	73,928,400	622,926	62,292,600
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	**2,280,473**	**228,047,300**	**1,541,189**	**154,118,900**

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नही है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	79,276,141	7,804,643
	जोड़िये :लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	101,499,479	71,471,498
	अंतिम शेष	**180,775,620**	**79,276,141**
	(ब) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	–	–
	जोड़िये :वर्ष का लाभ	128,946,700	90,020,876
	घटाईयें :		
	सदस्यों को (रू. 10/– प्रति समता अंश)		
	प्रस्तावित सीमित लांभाश(डीविडेंड)	22,804,730	15,411,890
	प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	4,642,491	3,137,488
	सामान्य संचय में अंतरित	101,499,479	71,471,498
	अंतिम शेष	–	–
		180,775,620	**79,276,141**
5.	**स्थगित अनुदान (Deferred Grant)**		
	प्रारम्भिक शेष	150,498,473	56,087,413
	वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान का उपयोग(नोट 33 को देखें)	146,123,469	112,970,611
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	71,038,204	18,559,551
	अंतिम शेष	**225,583,738**	**150,498,473**
6.	**दीर्घकालीन ऋण**		
	सुरक्षित		
	(अ) नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) से सावधी ऋण	–	**62,960,000**
		–	**62,960,000**

नोट्स :

(i) सुरक्षित ऋण के लिये दी गई प्रतिभूति का विवरण निम्न प्रकार है:–

कम्पनी के सावधि ऋण को कम्पनी की चल सम्पत्तियों, वर्तमान तथा भविष्य, पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित किया गया है जिसमें दृष्टिबंधक बही ऋण, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध तैयार माल एवं तैयार माल, उपभोगीय सामग्री एवं अन्य बही ऋण, ऐसी अन्य चल सम्पत्तियाँ जोकि व्यापार की सामान्य कार्यवाही के लिए कार्यशील पूंजी के संबंध में बैंकरों के पक्ष में प्रथम प्रभार में रखी गई है, शामिल नहीं है।

(ii) दीर्घकालीन ऋणों के वापसी अदायगी की शर्तें निम्न प्रकार है:–

ऋण पर 9% वार्षिक ब्याज देय है और यह सात वर्ष के दौरान 60 समान मासिक किस्तों में देय है जिसमें मूल के पुर्नभुगतान के लिए 2 वर्षों की मॉरटोरिअम की अवधि है, जो अप्रेल 2016 से आरम्भ होगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दीर्घकालीन ऋण का पूर्णतया भुगतान कर दिया गया है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
7.	**दीर्घकालीन प्रावधान**		
	(अ) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान:		
	(i) ग्रेच्यूटी हेतु	–	319,420
		–	**319,420**
8.	**स्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (Deferred tax liability (Net)**		
	(i) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा है :		
	(अ) अचल संपत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	3,462,248	6,025,336
	(ब) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों तथा ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	1,257,081	–
		4,719,329	**6,025,336**
	(ii) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा है :		
	(अ) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों तथा ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	–	110,545
	(ब) आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(i)(a) के अंतर्गत अस्वीकृत	–	173,040
	(स) आयकर अधिनियम की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत	150,398	300,796
		150,398	584,381
	शुद्ध स्थगित कर दायित्व/(संपत्तियां)	**4,568,931**	**5,440,955**
9.	**अल्पकालीन ऋण**		
	(अ) असुरक्षित ऋण		
	(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	989,892,434	–
		989,892,434	**–**
10.	**व्यावसायिक देनदारियाँ**		
	(अ) व्यावसायिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर)	428,771,537	327,622,478
	(नोट 34 को देखें)	**428,771,537**	**327,622,478**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
11.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	4,968,004	9,961,005
	(ब) अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नही	14,832,199	–
	(स) अदत्त/बिना दावे का (unclaimed) लांभाश	10,698,765	–
	(द) वैधानिक देय (भविष्य निधि में योगदान, कर रोका हुआ, सेवा कर, वैट आदि)	5,343,005	3,175,127
	(य) अचल संपत्तियों के क्रय हेतु देय	–	34,882,039
	(र) व्यावसायिक/प्राप्त प्रतिभूति जमायें	86,612,091	53,754,743
	(ल) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	4,842,826	3,384,804
	(व) प्राप्त अनुदान (शुद्ध उपयोग) (नोट 33 को देखें)	–	69,773,568
		127,296,890	**174,931,286**
12.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	(अ) प्रस्तावित सीमित लांभाश(डीविडेंड) हेतु प्रावधान	22,804,730	15,411,890
	(ब) प्रस्तावित सीमित लांभाश(डीविडेंड) पर कर का प्रावधान	4,642,491	3,137,488
	(स) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध अग्रिम कर रू. 56,756,111, पिछले वर्ष रू. 44,770,392)	15,447,770	3,050,139
		42,894,991	**21,599,517**

13. अचल संपत्तियां

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है (राशि ₹ में)

	विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2015 को स्थिति	वृद्धि	31 मार्च 2016 को स्थिति	01 अप्रैल, 2015 को स्थिति	वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
(अ)	**मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)**								
	बिल्डिंग	3,190,183	1,428,155	4,618,338	8,879	126,394	135,273	4,483,065	3,181,304
	प्लांट एवं उपकरण	243,840,651	92,872,221	336,712,872	34.836,798	53,866,147	88,702,945	248,009,927	209,003,853
	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	13,887,088	6,747,732	20,634,820	363,728	18,600,761	18,964,489	1,670,331	13,523,360
	ऑफिस उपकरण	5,346,672	972,261	6,318,933	591,253	622,179	1,213,432	5,105,501	4,755,419
	कम्प्यूटरर्स	40,226,952	37,755,987	77,982,939	11,526,272	21,748,431	33,274,703	44,708,236	28,700,679
	योग(अ)	**306,491,546**	**139,776,356**	**446,267,902**	**47,326,930**	**94,963,912**	**142,290,842**	**303,977,060**	**259,164,616**
	गत वर्ष	(141,566,085)	(164,925,461)	(306,491,546)	(16,637,140)	(30,689,790)	(47,326,930)	(259,164,616)	(124,928,945)
(ब)	**अमूर्त संपत्तियां** (स्वयं के अलावा अन्य अर्जित)								
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	22,249,107	56,084,149	78,333,256	3,717,521	10,198,642	13,916,163	64,417,093	18,531,586
	ट्रेड मार्क	90,000	.	90,000	39,699	18,750	58,449	31,551	50,301
	योग(ब)	**22,339,107**	**56,084,149**	**78,423,256**	**3,757,220**	**10,217,392**	**13,974,612**	**64,448,644**	**18,581,887**
	गत वर्ष	(90,000)	(22,249,107)	(22,339,107)	(21,699)	(3,735,521)	(3,757,220)	(18,581,887)	(68,301)
(स)	**प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य**	–	–	–	–	–	–	63,707,964	43,371,059
	योग(स)	–	–	–	–	–	–	**63,707,964**	**43,371,059**

नोट्स :

(i)	**मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी खर्चे**	**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए** (राशि ₹ में)	**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए** (राशि ₹ में)
	मूर्त संपत्तियों पर	94,963,912	30,689,790
	अमूर्त संपत्तियों पर	10,217,392	3,735,521
	घटाईए : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	71,038,204	18,559,551
		34,143,100	**15,865,760**

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 33 को देखें):- (राशि ₹ में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2015 को स्थिति	वृद्धि	31 मार्च 2016 को स्थिति	01 अप्रैल, 2015 को स्थिति	वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति	01 अप्रैल, 2015 को स्थिति
मूर्त संपत्तियां :.								
बिल्डिंग	3,190,183	–	3,190,183	8,879	106,552	115,431	3,074,752	3,181,304
प्लांट एवं उपकरण	67,115,197	44,474,929	111,590,126	4,060,733	23,692,937	27,753,670	83,836,456	63,054,464
ऑफिस उपकरण	4,454,088	434,700	4,888,788	411,986	478,964	890,950	3,997,838	4,042,102
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	12,140,256	5,353,595	17,493,851	174,652	16,685,740	16,860,392	633,459	11,965,603
कम्प्यूटरर्स	38,296,750	34,382,007	72,678,757	10,203,167	19,909,940	30,113,107	42,565,650	28,093,583
अमूर्त संपत्तियां								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	22,237,557	56,084,149	78,321,706	3,713,672	10,164,072	13,877,744	64,443,962	18,523,885
योग	**147,434,031**	**140,729,380**	**288,163,411**	**18,573,089**	**71,038,204**	**89,611,294**	**198,552,117**	**128,860,941**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
14.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
	(अ) पूंजीगत अग्रिम	–	486,158
	(ब) प्रतिभूति जमा	202,347	198,000
	(स) ग्रेच्युटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 37,82,730)	654,084	–
	(द) अवकाश का नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 20,17,832)	2,978,260	–
	(य) अग्रिम कर (स्रोत पर कर की कटौती सहित)	1,798,911	1,272,648
		5,633,602	**1,956,806**
15.	**स्टॉक**		
	(लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) तैयार माल	33,938,581	1,700,288
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड	18,225,502	11,519,564
	(स) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	29,657,215	24,580,911
	(द) स्टोर्स तथा स्पेयर्स	664,144	6,130,380
		82,485,442	**43,931,143**
16.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) देय तिथि से 6 माह की कम अवधि के लिए बकाया	1,086,822,743	250,021,950
		1,086,822,743	**250,021,950**
17.	**रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	290,707,541	159,809,030
	(ब) जमा खातों में		
	–वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से कम	114,263,532	–
	रोकड़ प्रवाह विवरण–रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	**404,971,073**	**159,809,030**
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	195,834,803	189,572,279
	(ii) निर्धारित खातों में		
	–अनपेड डीविडेंड खातें	10,698,765	–
		611,504,641	**349,381,309**

नोट:

(i) बैंक में जमा राशि में रू. शून्य (पिछले वर्ष रू. 16,000,000) की इस प्रकार की राशि जमा है, जिसकी परिपक्वता अवधि आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह से अधिक है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
18.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	60,430	123,162
	(ब) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,787,353	1,641,984
	(स) पूर्वदत्त व्यय	1,097,216	1,628,828
	(द) वैट प्राधिकरण के पास शेष	3,517,367	789,293
	(य) एन.डी.डी.बी. से प्राप्य अनुदान (नोट 33 देखें)	8,765,752	–
		17,228,118	**4,183,267**
19.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) ब्याज उपार्जित परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	2,274,027	6,175,133
		2,274,027	**6,175,133**

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
20.	**व्यवसायिक गतिविधियों से आय**		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	8,901,601,166	6,252,774,289
	(ii) घटाईये : दुग्ध प्रोसेसरों को विक्रय(निर्दिष्ठ नोट संख्या (i) देखें)	473,662,973	284,468,248
	(iii) शुद्ध विक्रय	**8,427,938,193**	**5,968,306,041**

नोट: (i) दुग्ध प्रोसेसरों को विक्रय का तात्पर्य कम्पनी द्वारा प्रोसेसिंग (Processing) एवं पैंकिंग के लिए विभिन्न डेयरियों /संघों को आपुर्तित किया गया दुग्ध है।

विक्रय किये गये उत्पाद

	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	7,465,664,933	5,480,594,144
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	521,149,049	306,742,685
	(स) अन्य दूध उत्पाद	30,591,181	–
	(स) पशु आहार	257,109,873	129,937,445
	(द) सीमेन	28,306,694	–
	कुल	**8,302,821,730**	**5,917,274,274**
	(iii) निर्मित माल		
	(अ) घी	125,116,463	31,992,781
	(ब) स्कीमड दुग्ध	–	19,038,986
	कुल	**125,116,463**	**51,031,767**
	योग (ii+iii)	**8,427,938,193**	**5,968,306,041**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
21.	**अन्य आय**		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	17,390,780	14,699,644
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	2,566,500	2,720,450
	(ii) दायित्व/प्रावधान वापिस किए गये	1,250,000	–
	(iii) विविध आय	3,928,408	9,001,123
		25,135,688	**26,421,217**
22.	**खपत की गई सामग्रीयों की लागत**		
	कच्चा दुग्ध		
	(अ) प्रारम्भिक स्टॉक	–	300,745
	(ब) जोड़िये:क्रय	182,659,671	29,967,898
		182,659,671	30,268,643
	(स) घटाईये : अंतिम स्टॉक	–	–
		182,659,671	**30,268,643**
23.	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	6,228,915,397	4,618,503,346
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	507,622,720	312,551,228
	(स) पशु आहार	259,506,699	124,257,623
	(द) अन्य दूध उत्पाद	25,642,698	3,412,119
	(य) सीमेन	26,396,232	–.
	(र) खरीद संबंधी व्यय	195,243,055	179,646,413
	(र) सदस्यों को इनसेंटिव	60,486,081	29,645,462
		7,303,812,882	**5,268,016,191**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
24.	**तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन**		
	तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी / (वृद्धि)		
	(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	11,519,564	10,376,338
	तैयार माल	1,700,288	8,051,015
	स्टॉक इन ट्रांजिट	24,580,911	13,673,993
		37,800,763	32,101,346
	(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	18,225,502	11,519,564
	तैयार माल	33,938,581	1,700,288
	स्टॉक इन ट्रांजिट	29,657,215	24,580,911
		81,821,298	37,800,763
	स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	**(44,020,535)**	**(5,699,417)**
25.	**कर्मचारी संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन एवं मजदूरी	62,346,674	56,419,231
	(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	6,282,381	5,307,392
	(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	54,580	633,084
		68,683,635	**62,359,707**
26.	**वित्त लागत**		
	(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	21,018,532	7,908,569
	(ब) आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	1,203,881	1,514,699
		22,222,413	**9,423,268**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
27.	**अन्य व्यय**		
	(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	4,381,792	721,536
	(b) पॉवर एवं फ्यूल	1,480,191	694,435
	(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	88,648,353	61,677,222
	(d) परिवर्तन शुल्क	–	310,513
	(e) किराया	3,929,100	3,049,823
	(f) दर तथा कर	818,355	1,696,296
	(g) मरम्मत एवं रख–रखाव – भवन	3,366,446	1,361,790
	(h) मरम्मत एवं रख–रखाव – मशीनरी	21,190,676	16,877,761
	(i) मरम्मत एवं रख–रखाव – अन्य	2,586,723	496,540
	(j) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	27,879,771	10,338,933
	(k) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	419,084,260	304,974,328
	(l) बीमा भार	2,393,603	1,810,221
	(m) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	26,195,245	6,198,191
	(n) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	1,259,292	1,048,564
	(o) यात्रा एवं परिवहन व्यय	13,690,709	8,733,300
	(p) प्रशिक्षण व्यय	1,666,882	1,354,961
	(q) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	52,536,537	34,227,026
	(r) संप्रेषण व्यय	5,414,940	2,191,232
	(s) विविध व्यय	9,975,164	17,083,961
		686,498,039	**474,846,633**
	नोट:		
	(i) अंकेक्षकों को देय शुल्क में निम्न शामिल है :		
	(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	800,000	750,000
	(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	150,000	150,000
	(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	145,670	20,082
	(द) उपरोक्त पर सेवाकर	163,622	128,482
		1,259,292	**1,048,564**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
28.	आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धतायें	**NIL**	**NIL**

29. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्व निर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू. 4,638,675 (पिछले वर्ष रू. 4,146,826) की राशि को लाभ–हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षो तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

i. निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन	31 मार्च 2016 (₹ में)	31 मार्च 2015 (₹ में)
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,983,971	742,347
ब्याज लागत	157,726	58,274
चालू सेवा लागत	1,415,480	1,017,337
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	225,553	166,013
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**3,782,730**	**1,983,971**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
ii.	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के प्रारम्भ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,664,551	901,913
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	276,801	111,719
	योगदान	2,617,210	681,580
	योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(121,748)	(30,661)
	वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	**4,436,814**	**1,664,551**
iii.	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	276,801	111,719
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	(121,748)	(30,661)
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	**155,053**	**81,058**
iv.	**चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,782,730	1,983,971
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	4,436,814	1,664,551
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	**(654,084)**	**(319,420)**
v.	**लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	1,415,480	1,017,337
	ब्याज व्यय	157,726	58,274
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(276,801)	(111,719)
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	347,301	196,674
	लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	**1,643,706**	**1,160,566**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
vi.	**चिट्ठे का मिलान**		
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	319,420	(159,566)
	उपरोक्तानुसार व्यय	1,643,706	1,160,566
	योगदान	(2,617,210)	(681,580)
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व / (संपत्तियां)	**(654,084)**	**319,420**

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारे में सूचना सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

अगले वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी कोषों में रू. 6,00,000 (पिछले वर्ष रू. 6,00,000) का योगदान होने का अनुमान है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चों हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चों की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii.	**मुख्य बीमांकिक अनुमान**	**31 मार्च, 2016**	**31 मार्च, 2015**
	बट्टे की दर	7.95% वार्षिक	7.85% वार्षिक
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% वार्षिक	10.00% वार्षिक
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	9.00% वार्षिक	8.99% वार्षिक
	संघर्षण दर (Attrition rate)		
	30 वर्ष से कम	3%	3%
	आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
	44 वर्ष से अधिक आयु	1%	1%
	प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
	Mortality table used	(2006-08)	(2006-08)
		(अन्तिम)	(अन्तिम)

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धत्ताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि, मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त **vii** के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. अनुभव समायोजन

	31.03.2016 (रूपये में)	31.03.2015 (रूपये में)	31.03.2014 (रूपये में)	31.03.2013 (रूपये में)
निर्धारित लाभ का वर्तमान मूल्य	3,782,730	1,983,971	742,347	170,051
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	4,436,814	1,664,551	901,913	137,672
पोषित स्थिति	(654,084)	319,420	(159,566)	32,379
प्रतिबद्धताओं पर लाभ/(हानि)	(225,553)	(166,013)	2,688	–
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(121,748)	(30,661)	(30,907)	–

30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज़ व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज़ किराया संबंधी रू. 39,29,100 (पिछले वर्ष रू. 30,49,823) के खर्चों को लाभ–हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज़ के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज़ क्रमश: 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2015 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नही	4,238,724	3,967,377
	एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नही	9,603,045	11,865,141
	पांच वर्ष बाद देय	5,564,850	5,340,025
		19,406,619	**21,172,543**

31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	इकाई	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष पर
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	128,946,700	90,020,876
	वर्षके दौरान भारित औसत अदत्त समता अंशों की संख्या	संख्या	1,690,681	1,028,617
	प्रति समता अंश न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश मूल आय	रूपये	76.27	87.52
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	1,690,997	1,028,617
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	76.25	87.52

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

32. लेखा–मानक AS–18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' का विवरण निम्न प्रकार है:–

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी(के.एम.पीं)	अनिल कुमार माथुर, (31 मई, 2015 को कार्यकाल पूर्ण) रतन कुमार सिंह (1 जून, 2015 को नियुक्ति हुई)

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:– **(राशि ₹ में)**

विशिष्टियाँ	के.एम.पी.	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक		
अनिल कुमार माथुर	703,417	703,417
	(3,517,206)	(3,517,206)
रतन कुमार सिंह	4,220,500	4,220,500
	(–)	(–)
कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।		

33. सरकारी अनुदानों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष पर
	नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:–		
(अ)	प्रारंभिक शेष	69,773,568	94,110,847
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	199,186,029	256,814,919
(स)	वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग		
	(i) पूंजीगत संपतियों के लिये		
	–अचल संपत्तियों के लिये	122,528,633	91,333,080
	– संपत्तियाँ जो स्थापना के अंतर्गत	23,594,836	21,637,531
		146,123,469	112,970,611
	(ii)आयगत व्यय के लिये	131,601,879	74,070,740
	कुल उपयोग (i)+(ii)	**277,725,348**	**187,041,351**
(द)	शेष को आगे ले गये(अ+ब+स)	(8,765,752)	69,773,568

नोट: पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है। (नोट 2k देखें)

34. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के अंतर्गत पंजीकृत नही है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी राशि बकाया नही है।

35. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबद्ध है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत्त है। खण्ड सूचना के लेखा मानक AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कम्पनी को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कम्पनी एक व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत्त है।

36. कम्पनी ने अपने सदस्यों से अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसका आवंटन तीन महिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

37. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहां भी आवश्यक है,पिछली अवधि के आंकड़ो को पुन: वर्गीकृत / पुन: एकत्र किया गया है

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–
मंजू जाखड़	**भगवान सहाय**	**रतन कुमार सिंह**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./–	ह./–	
अनूप गुप्ता	**कपिल पचौरी**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24 जून, 2016

PAAYAS™
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

एम.सी.सी. का नाम .....एम.पी.पी. का नाम एवं कोड .....

फोलियो संख्या : .....

सदस्य कोड :

मैं.....

निवासी.....

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य / की सदस्या हूँ। मैनें कम्पनी द्वारा भेजी गई चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

दिनांक : .....

स्थान : .....

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,

वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91–141–2352736

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com